

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री डोरीलाल बघेल, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/411/76) को जिला एवं सेशन न्यायालय, भरतपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, भरतपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री हरिओम सिंघल, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, भरतपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

९०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 9 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 10 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 14 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 15 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में विशिष्ट न्यायालय(ड0प्र0क्षे0) भरतपुर के लिए राजस्थान डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अधीन अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री अभिषेक जैन, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर / 799 / 05) को विशिष्ट लोक अभियोजक (ड0प्र0क्षे0), भरतपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, विशिष्ट लोक अभियोजक (ड0प्र0क्षे0), भरतपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश(ड0प्र0क्षे0), भरतपुर।
- 10 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 11 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

९/७
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सं01, भरतपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री तरुण जैन, अधिवक्ता, (एनरोलमेन्ट नं0 आर/455/08) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, भरतपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01 भरतपुर।
- 10 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 11 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री यदुवीर सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर /443/04) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), भरतपुर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा,अ.नि.प्र.), भरतपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 28.02.20 तक) या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री रघुनन्दन शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), भरतपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश(अजा/अजजा), भरतपुर।
- 10 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 11 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(7)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक ७/७/२०१९
:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नंबर	पद नाम/ स्थान
1	श्री राजेश मित्तल	आर/ 818/94	अपर लोक अभियोजक (सिविल) भरतपुर
2	श्री नरेन्द्रपाल सिंह	आर/ 3243/06	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, भरतपुर
3	श्री अशोक कुमार (सहना)	आर/ 1305/01	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, भरतपुर
4	श्री कुलदीप सिंह धनकर	आर/ 3565/06	अपर लोक अभियोजक (म0ज0), भरतपुर
5	श्री धीरज कुमार	आर/ 1583/04	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, बयाना, भरतपुर
6	श्री कौशलेन्द्र सिंह इंदौलिया	आर/ 2649/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, डीग, भरतपुर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री गिरीश चतुर्वेदी	अपर लोक अभियोजक (सिविल) भरतपुर
2	श्री गोविन्द सिंह डागुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, भरतपुर
3	श्री विजय कुमार गोयल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, भरतपुर
4	श्री नरेश चन्द्र	अपर लोक अभियोजक (म0ज0), भरतपुर
5	श्री मोहन शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, बयाना, भरतपुर
6	श्री राकेश कुमार गुप्ता	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, डीग, भरतपुर

आज्ञा से

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- 9 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, (सिविल) भरतपुर/ सं0 3, 4 भरतपुर/ (म0ज0) भरतपुर/ सं0 2 बयाना, भरतपुर/ सं0 2 डीग, जिला भरतपुर।

निरन्तर—

- 10 जिला कलवर्टर, भरतपुर।
- 11 कोषधिकारी, भरतपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समर्स्ट उपविधि प्रसारणी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रायामर, विधि विभाग को बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि